



!! आदेश !!

क्रमांक 236

दिनांक 02/05/2012

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 के पद संख्या क्रमांक 17 पर पारित संकल्प क्रमांक 971-17/35/04/2012 में लिये गये निर्णय के परिपालन में छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग मेन्यूल के पैरा 4.078 तथा परिशिष्ट 4.10 के अनुसार कार्यपालन में अभियंता को कय तथा रख-रखाव से संबंधित कार्य एक बार में रु.10,000.00 (रूपये दस हजार) तथा एक माह में अधिकतम रु.1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) तक व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

मण्डल के आदेशानुसार

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
रायपुर

पृ. क्रमांक/ 2082 /आ.आ./ले.शा./एफ- /12  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 02/05/2012

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
5. उपायुक्त-I (योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
8. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग/परि.संभाग .....
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,  
रायपुर

Handwritten signature and initials